Performance Audit on "Traffic Management System" in major cities of MP" Tentative Tour Programme (Party-03)

Name of Party members:-

1-Shri Deepak Sharma Sr.AO

- 2. Shri, Umesh Kumar Jain AAO
- 3. Shri Mukesh Kumar Chaurasia AAO
- 4. Shri Dhanjit Saluja, AAO
- 5. Shri Dinesh Singh, Asst.Supr.
- 6. Shri Ashok Yadav, Sr. Auditor

Unit Name	Allotted Work	Working Days	Period
Transit to Bhopal			02.10.2022
 Superintendent of Police Regional/District Transport Officer Commissioner, Nagar Nigam Chief executive officer, Smart city District education officer Joint Director, Town and country planning Executive Engineer, Public Works Department Manager, Madhya Pradesh Road development corporation District Public relation officer Chief Medical & Health officer/ Dean, Medical college 	Review work including Field work	55	03.10.2022 to 23.12.2022
Transit to Gwalior			24.12.2022

Holidays

Septemb	3,4,10,11,	Octob	1,2,5,8,9,15,16,22,223,24,25,	Novemb	5,6,8,12,13,15,19,20,2	Decemb	3,4,10,11,
er	17,	er	29,30	er	6,27	er	17,
2022	18,24,25	2022		2022		2022	18,24,25,3
							1

नोट- दल के सभी सदस्यों (श्री दीपक शर्मा व.ले.प.अ. को छोड़कर) को निर्देशित किया जाता है कि अनुदानों/प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा संबंधित कार्य के लिए, वे दिनांक 25.09.2022 को ग्वालियर से भोपाल का प्रस्थान लेंवे एवं इकाई में कार्यग्रहण कर श्री दीपक शर्मा विरष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आदेशों का पालन करना सुनिश्चित करें। साथ ही अनुदान क्रमांक 01, 08, 58, से

संबंधित जानकारी (सलंग्न अनुसार) पूर्व में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार प्राप्त करें। यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे दल के सदस्यों के साथ निर्धारित समयाविध में कार्य पूर्ण कर श्री दीपक शर्मा व.ले.प.अ. अनुदान लेखा परीक्षा सम्बंधित सामग्री मुख्यालय सोंपने हेतु ग्वालियर का प्रस्थान लेंगे एवं दल के अन्य सदस्य टैफिक मैनेजमेन्ट से संबंधित दौरा कार्यक्रम का अनुसरण करेंगे। श्री दीपक शर्मा व.ले.प.अ. अनुदान सम्बन्धी कार्य उपरांत पुनः भोपाल के लिए दिनांक 09.10.२०२२ का प्रस्थान लेकर टैफिक मैनेजमेन्ट से संबंधित दौरा कार्यक्रम का अनुसरण करेंगे

(प्राधिकार: उपमहालेखाकर/ए.एम.जी.-05 द्वारा अनुमोदित)

हस्ता/-

वरिष्ठ

लेखापरीक्षा अधिकारी

ए.एम.जी.-05 (मुख्यालय)

विशेष निर्देश:--

- 1 PA के लिए कवरेज अवधि पांच वर्ष अर्थात वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की होगी | आवश्यकतानुसार पूर्व वर्षों का कवरेज भी शामिल किया जा सकता है |
- 2 लेखापरीक्षा दल निष्पादन लेखापरीक्षा से सम्बन्धित योजना/ कार्यों की समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी /फोटो कॉपी एकत्र करेगा | निष्पादन लेखापरीक्षा से सम्बन्धित आवंटन-व्यय, रोकड़ बही, पंजियां फाइलें, कार्य पंजियों के अतिरिक्त IFMIS, PFMS, MIS, Portals, Bank Transactions से सम्बन्धित जानकारी हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करें |
- 3 लेखापरीक्षा के दौरान आधार अभिलेखों की स्कैनिंग समुचित रूप से करें तािक दोबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े | वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इगिंत करते हुए मांग की जाए |
- 4 लेखा परीक्षित इकाई में योजना एवं नियम अनुसार संधारित होने वाले अभिलेख / पंजी संधारित न होने एवं इकाई द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें | लेखापरीक्षा हेतु जिला/लेखा परीक्षित इकाई स्तर पर Nodal Officer मनोनीत किया जाये |
- 5 प्रधान महालेखाकार एवं उप महालेखाकार द्वारा दिए निर्देशों एवं उच्च अधिकारिओं द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिक्षित किया जाए |
- 6. लेखापरीक्षा दल के प्रभारी अधिकारी, दलों के सदस्यों के बीच कार्यो का विभाजन कर कार्य संपादित करें ताकि निष्पादन लेखापरीक्षा का कार्य सुगमता से किया जा सके |
- 7. Allotted work to be done following the guidelines issued in respect of Covid-19.